[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना संख्या. 61/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जुलाई, 2020

सा.का.नि.......(अ)- सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं. 13/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 196 (अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में-

(i) "जो उक्त नियमो के नियम 54" शब्दों, के पहले "किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई तथा" शब्द को अत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "एक सौ करोड़ रुपये" शब्दों के लिए "पाँच सौ करोड़ रुपये" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(फा.सं.सीबीईसी-20/13/01/2019-जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर दिनांक 21 मार्च, 2020 को सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 21 मार्च, 2020 के द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।